संख्याः 152 भू0क्य/18(1)/2005

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 14 फरवरी, 2006

विषयः मै0 राना इण्डस्ट्रीज को कृषि उपकरण के निर्माण में प्रयोग आने वाले स्ट्रक्चर/कच्चे माल बनाने वाले उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रुड़की के ग्राम शिकारपुर में कुल 0.6039 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 2890/भूमि व्यवस्था–भूमि क्रय–2005–पीए दिनांक 5–1–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 राना इण्डस्ट्रीज को कृषि उपकरण के निर्माण में प्रयोग आने वाले स्ट्रक्चर/कच्चे माल बनाने वाले उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम शिकारपुर में कुल 0.6039 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की

.....(2)

गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

7- प्रश्नगत फर्म एक हजार एच0पी0 से कम उच्च तकनीकी की कास्टिंग कर ही उत्पादों का विनिर्माण करेगी।

8- ग्राम शिकारपुर, तहसील रूड़की स्थित खसरा संख्या-358 व 395 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या-50/2003-सैन्ट्रल एक्साईज दिनांक 10 जून, 2003 में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत कैटेगरी-डी एक्सपैन्शन ऑफ एक्जीस्टिंग स्टेट्स के क्रमांक-5 पर अधिसूचित है। इस श्रेणी के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि के खसरा नम्बरों का राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित किये जाने पर ही प्रस्तावित इकाई को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

9- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

...(3)